

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक:- 12 / 05 / 2026 ई०।

संचिका सं०-12/या०-4007/2020-1974/ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद W.P.(S) No. 2297/2020 तथा W.P.(S) No. 5026/2021 में दिनांक-28.07.2025 को पारित न्यायादेश :-

"... The Respondents are directed to re-fix the seniority of the Petitioners/Private Respondents strictly in accordance with the marks obtained in the JPSC examination conducted pursuant to Advertisement dated 11.09.2010. The Respondents shall carry out this exercise within a period of sixteen weeks from the date of receipt/production of copy of this judgment. All consequential benefits arising from the corrected seniority position, including consideration for promotion, shall also be granted to the Petitioners in accordance with law."

एवं Civil Review (Filing) No.- 10247 of 2025 में दिनांक-07.10.2025 2025 को पारित न्यायादेश :-

"...Accordingly, the 1st part of para-32 of order 28.07.2025 passed in W.P.(S). No. 2297 of 2020 with W.P.(S). No. 5026 of 2021, is modified to the extent that, "Accordingly, both these writ petitions are allowed. The seniority lists dated 01.01.2016, 01.01.2017, and 01.01.2018, and the provisional seniority list dated 11.01.2024 issued vide Memo No. 12/P5-1048/2014 (Khand) 231/Ranchi, are hereby, quashed, which was pursuant to advertisement dated 11.09.2010."

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-4157, दिनांक-31.10.2025 द्वारा पुलिस उपाधीक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित की गयी।

2. उक्त प्रकाशित वरीयता सूची के अनुसार चतुर्थ बैच के पुलिस उपाधीक्षकों की वरीयता प्रभावित हुई है और माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के द्वारा उपलब्ध कराये गये मेधा सूची के अनुसार ही चतुर्थ बैच के पुलिस उपाधीक्षकों की वरीयता प्रकाशित की गयी है। जिस कारण पूर्व की वरीयता सूची में अंकित चतुर्थ बैच के कई पुलिस उपाधीक्षक की वरीयता अवक्रमित हुई और चतुर्थ बैच के कई पुलिस उपाधीक्षक वरीयता क्रम में ऊपर हो गये हैं।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश (कंडिका-32):-

"...All consequential benefits arising from the corrected seniority position, including consideration for promotion, shall also be granted to the Petitioners in accordance with law. "

3. (i) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रकाशित वरीयता सूची के अनुसार वरीयता क्रम में ऊपर की वरीयता वाले पुलिस उपाधीक्षकों को वरीय पुलिस उपाधीक्षक (अपुनरीक्षित वेतनमान, पी०बी०-III 15600-39100,

K

ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतनमान Level-11) में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक-18.12.2025 को विभागीय प्रोन्नति समिति की आहूत बैठक की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारी को वरीय पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
i	श्री नाजीर अख्तर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बसिया।
ii	श्री प्रवीण कुमार सिंह	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चास।
iii	श्री मनीष कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, रेल, चक्रधरपुर।
iv	श्री नीरज कुमार	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गढ़वा।
v	मो० मुजीबुर रहमान	पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।
vi	श्री विकास आनंद लागुरी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा।
vii	श्री अनुज उराँव	पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली।
viii	श्री प्रदीप पॉल कच्छप	पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधी दस्ता, झारखण्ड, राँची।
ix	श्री अमित कुमार कच्छप	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जरमुण्डी, दुमका।

(ii) साथ ही विभागीय प्रोन्नति समिति (दिनांक-18.12.2025) की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित वरीय पुलिस उपाधीक्षक की कोटि के पदाधिकारी जो उक्त पुलिस उपाधीक्षक से वरीयता क्रम में कनीय हो गये हैं, को पुलिस उपाधीक्षक की मूल कोटि में अवक्रमित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
i	श्री सुमित कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, सी०सी०आर०, धनबाद।
ii	श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाघमारा।
iii	श्री दीपक कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), झारखण्ड, राँची।
iv	श्री ज्ञान रंजन	पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), झारखण्ड, राँची।
v	श्री सुनील कुमार रजवार	पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), झारखण्ड, राँची।
vi	श्री विजय कुमार महतो	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका।
vii	श्री कौशर अली	पुलिस उपाधीक्षक (मु०-2), गिरिडीह।
viii	श्री संजीव कुमार बेसरा	पुलिस उपाधीक्षक, सदर, राँची।
ix	श्री जीतवाहन उराँव	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अनिल कुमार तिकी)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापिकांक-12/या०-4007/2020-...../राँची,

दिनांक:- / /2026 ई०।

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापिकांक-12/या०-4007/2020-...../राँची,

1974

दिनांक:- 12 / 05 /2026 ई०।

**प्रतिलिपि :-** नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची/अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।